

8.2.2023, पत्रावली पेश हुई।

वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादीगण के वकील अनुपस्थित।

प्रतिवादीगण की तरफ से जवाब पेश करने हेतु पूर्व में पर्याप्त अवसर दिये जाने के बाद भी जवाब पेश नहीं करने पर मूल वाद की तर्ज पर इस आवेदन में जवाब का अवसर समाप्त किया जाकर प्रार्थी वकील की बहस सुनी गई।

प्रार्थी के अधिवक्ता ने आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए अभिकथन किया कि श्रीमानजी के न्यायालय में एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया गया है। जिसमें वर्णित तथ्यों के आधार पर प्रार्थी को सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है। कि प्रार्थी व विप्रार्थीगण संख्या 1 से 9 का संयुक्त खातेदारी भूमि खेत खसरा संख्या 556 रकबा 3.2603 हैक्टेयर किस्म बा. दोयम तथा खसरा संख्या 671 रकबा 1.6827 हेक्टेयर किस्म बा.दोयम तथा खसरा संख्या 815 रकबा 0.7362 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम तथा खसरा संख्या 817 रकबा 3.1470 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम कुल रकबा 8.8262 हैक्टेयर मौजा चाडो की ढाणी पटवार क्षेत्र चाडो की चाणी तहसील सिणधरी में अवस्थित है। उक्त भूमि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण संख्या 1 से 8 की पुश्तैनी हक एवं कब्जा काश्त की है, जिसमें प्रार्थी का 1/2

दी. 14
अध्यक्ष कलक्टर
SDO सिणधरी

हिस्सा व विप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 प्रत्येक का 1/24-1/24 हिस्सा तथा विप्रार्थीगण संख्या 4 से 5 का 1/8 1/8 हिस्सा तथा विप्रार्थीगण संख्या 1/32-1/32 हिस्सा खातेदारी का दर्ज है। प्रार्थी व विप्रार्थीगण संख्या 1 से 9 का वक्त सेटलमेन्ट से पृथक-पृथक हिस्सा खातेदारी का है प्रार्थी का 1/2 हिस्सा 1 भूमि बंट में आती है। प्रार्थी का अपने हिस्से की भूमि पर शांतिपूर्ण काबिज होने के बावजूद भी उनके हिस्से की भूमि में विप्रार्थीगण उनके कब्जे काशत में दखल अंदाजी करते रहते हैं, जिससे पक्षकारान के मध्य झगड़ा-फसाद होने से पक्षकारान के मध्य परस्पर मुकदमे बाजी के कारण वाद-विवाद बढ़ता है। विप्रार्थीगण संख्या 1 से 9 ने आपराधिक गठजोड़ कर प्रार्थी के हिस्सा व कब्जा -काशत की भूमि में जबरन पक्का निर्माण अर्थात् मकान की नींव खुदाई व उस पर पत्थरों से चुनाई प्रारम्भ की तब प्रार्थी द्वारा इस बाबत थानाधिकारी सिणधरी एवं श्रीमानजी के कार्यालय में प्रार्थना पत्र पेश किया, पुलिस द्वारा विप्रार्थीगण को निर्माण नहीं करने व शांति बनाये रखने की हिदायत के बावजूद भी विप्रार्थीगण नहीं माने और लगातार जबरन निर्माण कार्य पर उतारू है, निर्माण कार्य से सम्बन्धित फोटोग्राफ संलग्न है, इस प्रकार प्रार्थी हमेशा तनाव में रहते हैं। इसके अतिरिक्त विप्रार्थीगण, प्रार्थी द्वारा उपजाऊ बनाई गई भूमि का एंव राजस्व रेकर्ड में भूमि का बैचान करने किसी अजनबी को उक्त भू-भाग पर काबिज करवाने पर उतारू है तथा विप्रार्थीगण संख्या 1 से 9. प्रार्थी के कब्जे काशत की भूमि पक्के निर्माण हेतु आमादा है, यदि वे इस मकसद में कामयाब हो गये तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। अतः प्रार्थी विप्रार्थीगण संख्या 1 से 9 के विरुद्ध विधिसम्मत तरीके से वादग्रस्त आराजी का विभाजन नहीं होने तक अपने कब्जे काशत में दखलंदाजी न स्वयं करने न किसी अन्य से करवाने तथा व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को ताफैसला मूल वाद इस आशय के साथ कन्फर्म की जावें कि मौजा चाडो की ढाणी पटवार क्षेत्र चाडो की ढाणी तहसील सिणधरी के भूमि का खेत खसरा संख्या 556 रकबा 3.2603 हैक्टेयर किस्म बा. दोयम तथा खसरा संख्या 671 रकबा 1.6827 हैक्टेयर किस्म बा. दोयम तथा खसरा संख्या 815 रकबा 0.7362 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम तथा खसरा संख्या 817 रकबा 3.1470 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम कुल रकबा 8. 8262 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी के कब्जा काशत में प्रकार की दखलंदाजी नही करे तथा न ही किसी प्रकार का निर्माण करे तथा न ही किसी अजनबी व्यक्ति को बैचान आदि किसी प्रकार का हस्तानान्तरण न ही स्वयं करे व अन्य किसी से नही करवाये इस हेतु मौका एंव रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखी जावे।

हमने प्रार्थी वकील की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिर्कोर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया गया एवं तथ्यों का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया कि प्रार्थी व विप्रार्थीगण संख्या 1 से 9 का संयुक्त खातेदारी भूमि खेत खसरा संख्या 556 रकबा 3.2603 हैक्टेयर किस्म बा. दोयम तथा खसरा संख्या 671 रकबा 1.6827 हैक्टेयर किस्म बा.दोयम तथा खसरा संख्या 815 रकबा 0.7362 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम तथा खसरा संख्या 817 रकबा 3.1470 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम कुल रकबा 8. 8262 हैक्टेयर मौजा चाडो की ढाणी पटवार क्षेत्र चाडो की चाणी

तहसील सिणधरी में अवस्थित है। उक्त भूमि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण 1 से 8 की पुश्तैनी हक एवं कब्जा काश्त की है, जिसमें प्रार्थी का हिस्सा दर्ज है। जहां तक प्रार्थीगण की इस्तदुआ अनुसार वादग्रस्त में प्रार्थी 1/2 हिस्सा वक्त बंदोबस्त से पृथक होने से प्रार्थी के काश्त अनुसार काबिज होने एवं इसी अनुसार विभाजन करने का प्रश्न है, का निस्तारण मूल वाद के जरिये साक्ष्य / सबूतों के आधार पर पक्षकारान की सुनवाई अनुसार निर्णित किया जाना अपेक्षित है, परन्तु प्रथम दृष्टया प्रार्थी के वकील द्वारा अपने अभिकथनों के अनुसार यदि दौराने विचारण वाद विवादित भूमि का और आगे से आगे बेचान या हस्तांतरण अथवा पक्का निर्माण के जरिये प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि इत्यादि कर दिया जाता है तो पक्षकारान के मध्य विवाद बढ़ने से इन्कार नहीं किया जा सकता है और प्रकरण को निस्तारण किये जाने में भी कानूनी पेचीदीगीया बढेगी। उपरोक्त परिस्थिति को मदद्वेनजर रखते हुए मूलवाद के निर्णय तक विप्रार्थीगण को पाबंद किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार योग्य है।

लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर ताफैसला मूलवाद तक विप्रार्थीगण को जरियें अस्थायी स्थगन आदेश से पाबंद किया जाता है कि खसरा संख्या 556 रकबा 3.2603 हैक्टेयर किस्म बा. दोयम तथा खसरा संख्या 671 रकबा 1.6827 हेक्टेयर किस्म बा.दोयम तथा खसरा संख्या 815 रकबा 0.7362 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम तथा खसरा संख्या 817 रकबा 3.1470 हैक्टेयर किरम बा.सोयम कुल रकबा 8.8262 हैक्टेयर मौजा चाडो की ढाणी पटवार क्षेत्र चाडो की चाणी तहसील सिणधरी की भूमि के संबंध में विप्रार्थीगण, प्रार्थी के कब्जे काश्त में की भूमि में किसी प्रकार की दखलदांजी नहीं कर राजस्व रेकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर एवं नम्बर से कम हो।